

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बम्बे में ईवादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया सहित

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



संगरिया अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 445/2022

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. कुलदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.
2. रानीबाला पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. विजयपाल पुत्र कृष्णदत्त जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

वादीगण

1. आत्माराम पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कृष्णा देवी पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. विनोद कुमार पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा किशनपुरा उत्तराधा तहसीलदारा राजस्व संगरिया

- प्रतिवादीगण

दिनांक :- 06-03-2024

राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल क्लर्क रूबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री भीम पारीक वकील प्रतिवादी सं. 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

क 12 पीटीपी के खाता संख्या 78/48 कुल रकबा 0.038 है. खाता संख्या 73/21 में कुल रकबा 0.009 में मौके पर कब्जा काश्त की भूमि:-

1. आत्माराम पुत्र काशीराम 1744/2682 हि कृष्णा देवी पत्नी विनोद कुमार 385/2682 हि. विनोद कुमार पुत्र काशीराम 553/2682 हि. जाति जाट सा. किशनपुरा उत्तराधा प. न. 112/133 मु. नं. 6 किला नं. 19/0.190, 22/0.253 है., प. नं. 111/134 मु. नं. 20 किला न. 5/1/0.228, 5/2/0.025 है. गै.मु. खाला 6/0.253 है., 15/2/0.038 है., 15/3/0.177 है. प. नं. 112/134 मु. नं. 21 किला नं. 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है गै.मु. खाला 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. गै.मु. खाला 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. गै.मु. खाला 8,9,10/0.253 है. प्र कुल रकबा 2.682 है. नहरी/ बरानी प्रथम गय गै.मु.
2. कुलदीप सिंह पुत्र मलकीत सिंह 1/2 हि. रानीबाला पुत्री मलकीत सिंह 1/2 हि जाति जटसिख सा. किशनपुरा उत्तराधा जाति जटसिख सा. किशनपुरा उत्तराधा प. न. 111/133 मु. नं. 6 किला नं. 19/0.190, 22/0.253 है., प. नं. 112/134 मु. नं. 7 किला नं. 14/3/0.025 है. नहरी 15,16,25/0.253 है. प्र प. नं. 112/134 मु. नं. 6 किला नं. 12,13,18/0.253 है. प्र 19/0.063 है., 20,21/0.253 है. प्र कुल रकबा 2.113 है.

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

3 विजयपाल पुत्र कृष्णदत्त जाति जाट सा. किशनपुरा उत्तराधा प.नं. 112/133 मु.नं. 6 किला  
नं. 11/0.253 है. कुल 0.253 है.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं है तो  
तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये  
जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ.  
/023/3848 दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक  
भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के  
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

मुद्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा

दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक  को अदा करे।

मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06-03-2024 को खुले  
में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपपरवाह अधिकारी,  
संगरिया

